

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची
मध्य विद्यालय बी०एम०पी०-1 डोरण्डा परिसर,
राँची-834002 ☎ 0651-2490065(Office), Fax-2490064
Email - jepranchi@gmail.com & dseranchi@gmail.com

प्रेस विज्ञापित

भारत सरकार के "श्रेष्ठ" कार्यक्रम के अन्तर्गत आकांक्षी जिला-राँची में वर्ग 9 एवं 11 में नामांकन हेतु (वर्ष 2021-2022) 06-06 सीटें उपलब्ध करायी गई हैं। वर्णित कक्षाओं में राँची जिले के सिर्फ अनुसूचित जाति (Schedule Caste) के बच्चों का चयन किया जाना है। एतद् हेतु दिनांक 09.10.2021 को दैनिक समाचार पत्र (PR 254599) में झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची द्वारा एक प्रेस विज्ञापित जारी कर नामांकन हेतु आवेदन दिनांक 20.10.2021 तक निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजने का निदेश दिया गया था। परन्तु 20.10.2021 तक एक भी आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। पुनः दिनांक 27.10.2021 दैनिक समाचार पत्र (PR 255592) द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तिथि 30.10.2021 तक विस्तारित की गई थी परंतु निर्धारित अवधि में एक भी आवेदन झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची के कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः पुनः आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27.11.2021 तक विस्तारित की गयी है। इस हेतु आवेदन का प्रारूप www.dseranchi.com पर उपलब्ध है जिसे Download किया जा सकता है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
राँची

उपायुक्त,
राँची


PR257251 (Ranchi)21-22*D

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची

मध्य विद्यालय बी०एम०पी०-1 डोरण्डापरिसर, राँची-834002

☎ 0651-2490065 (Office), Fax-2490064

Email - jepranchi@gmail.com & dseranchi@gmail.com





सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

प्रेस विज्ञप्ति

राँची जिला अन्तर्गत सभी कोटि के विद्यालयों यथा सरकारी, गैर सरकारी, अल्पसंख्यक एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की "श्रेष्ठ" कार्यक्रम के अन्तर्गत "आकाँक्षी", जिला-राँची" में वर्ग 09 एवं वर्ग 11 में नामांकन हेतु (वर्ष 2021-2022) 06-06 रीटें उपलब्ध करायी गयी है। वर्णित कक्षाओं में राँची जिले के सिर्फ अनुसूचित जाति (Schedule Caste) के बच्चों का चयन किया जाना है। चयन के उपरांत इन चयनित बच्चों का नामांकन जिला अन्तर्गत अवस्थित श्रेष्ठतम निजी आवासीय विद्यालय में किया जायेगा। केवल वैसे बच्चे ही इसमें आवेदन करेंगे जिनके अभिभावक का वार्षिक आय अधिकतम 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपये तक का हो। इस हेतु आवेदन का प्रारूप www.dseranchi.com पर उपलब्ध है जिसे Download किया जा सकता है। नामांकन हेतु आवेदन प्रपत्र, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची, मध्य विद्यालय, बी०एम०पी०परिसर, डोरण्डा, राँची-834002 पर केवल निबंधित डाक अथवा Speed Post द्वारा जमा किया जाएगा। "किसी भी परिस्थिति में हाथों-हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।" वैसे ही बच्चे इसमें आवेदन कर करेंगे जिन्हें 8वीं एवं 10वीं की कक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त हो। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20.10.2021 तक है। आवेदन के साथ जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र, राँची जिला के अंचल अधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत किया गया हो। आवेदन की समीक्षा उपरान्त अहर्ताधारी छात्रों का Entrance Exam के आधार पर चयन किया जायेगा।

इस संबंध में विशेष जानकारी हेतु वेबसाइट-www.dseranchi.com पर देखा जा सकता है।


4.10.2021
जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
राँची


उपायुक्त,
राँची

श्रेष्ठ (SHRESHTA) कार्यक्रम अंतर्गत चयन हेतु आवेदन प्रपत्र

किस कक्षा में नामांकन हेतु

कक्षा – 9 या 11 में। कक्षा का नाम बॉक्स में उल्लेख करें

1. छात्र-छात्रा का नाम :
2. माता का नाम :
3. पिता का नाम / अभिभावक का नाम :
4. लिंग (महिला/पुरुष) :
5. विद्यालय का नाम जहाँ से छात्र/छात्रा उत्तीर्ण/अध्ययनरत हैं :
6. विद्यालय का यू-डायस कोड :
7. आवासीय प्रमाण पत्र (रांची जिले के)
[छायाप्रति संलग्न] : हाँ नहीं.....
8. आवासीय पता :
9. पत्राचार का पता :
10. प्रखंड का नाम :
11. आधार नंबर :
12. जन्मतिथि (अंक में) :
- (शब्द में) :
13. आय प्रमाण पत्र :
14. जाति प्रमाण पत्र :
15. मोबाईल संख्या :
16. आठवीं या दसवीं कक्षा में उत्तीर्णता/अध्ययनरत
के संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य
द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र (Attach Copy) :
17. कक्षा 8वीं / 10वीं की वार्षिक परीक्षा में :
- प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत (Attach Copy)

पासपोर्ट साईज फोटो

Am
4.10

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक :

श्रेष्ठ "SHRESHTH" कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के नामांकन हेतु प्रक्रिया

न्यूनतम अहर्ता (कक्षा 9) में नामांकन हेतु :-

1. बच्चें, अनुसूचित जाति से संबंधित हो एवं उनके पास अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत झारखंड का जाति प्रमाण पत्र एवं राँची जिला का आवासीय प्रमाण पत्र अवश्य हो ।
2. बच्चें, राँची जिले के किसी भी कोटि के विद्यालय से कक्षा 08 की परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण किए हो ।
3. बच्चें के अभिभावक का वार्षिक आय रूपये 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) से अधिक न हो एवं राँची जिले के कम से कम अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो ।

न्यूनतम अहर्ता (कक्षा 11) में नामांकन हेतु :-

1. बच्चें, अनुसूचित जाति से संबंधित हो एवं उनके पास अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत झारखंड का जाति प्रमाण पत्र एवं राँची जिला का आवासीय प्रमाण पत्र अवश्य हो ।
2. बच्चें, राँची जिले के किसी भी कोटि के मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 10 की परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण किए हो ।
3. बच्चें के अभिभावक का वार्षिक न्यूनतम आय रूपये 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) से अधिक न हो एवं राँची जिले के कम से कम अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो ।

आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया :-

समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के अनुसार वैसे बच्चें, जो आवासीय व्यवस्था में अध्ययन हेतु इच्छुक हो, विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज को संलग्न करते हुए आवेदन पत्र को सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची कार्यालय के परीक्षा कोषांग में जमा करना सुनिश्चित करेंगे ।

1. आवेदन पत्र की प्रति जिसमें बच्चें का हाल का पासपोर्ट साईज फोटो (6 माह से पुराना नहीं हो) अनिवार्य रूप से लगा हो ।
2. Admit Card हेतु विहित प्रपत्र (जिसमें बच्चें का फोटो अनिवार्य रूप से लगा हो)
3. कक्षा 08 या 10 का (प्रधानाध्यापक से प्रमाणित) अंक पत्र ।
4. राँची जिला के सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र ।
5. राँची जिला से निर्गत 2,50,000/- रूपये तक का आय प्रमाण पत्र ।

चयन की प्रक्रिया :-

1. कक्षा 09 के लिए 6 बच्चों (बालक/बालिका) का नामांकन हेतु चयन किया जाएगा ।
2. कक्षा 11 के लिए 6 बच्चों (बालक/बालिका) का नामांकन हेतु चयन किया जाएगा ।
3. कक्षावार बच्चों के नामांकन हेतु Multiple Choice Question के आधार पर 100 अंक की लिखित परीक्षा जिले के किसी विद्यालय में केन्द्र का निर्धारण करते हुए किया जा सकता है ।
4. लिखित परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी ।
5. परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा । परीक्षा के उपरांत उत्तर पत्रक की जाँच करते हुए अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 06 बच्चें का नामांकन चयन किए गए निजी आवासीय विद्यालय में किया जा सकेगा ।